

प्रेषक,

बाबू राम,  
जनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

शिक्षा,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नहींदेल्ली।

शिला (7) अनुभाग लेखनकाल: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2006  
विषय :- राज्यशास्त्र भौतिक सरस्वती विद्या मंदिर शताङ्गीनगर गोरखपाटा को सीधीपाठ्यसंग्रहीत करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय को और उपकार अकृत करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर संवर्धित विद्यालय को सीधीपाठ्यसंग्रहीत नहींदेल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्णों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की ऐंजीनियर सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण करना जायेगा।
- (2) विद्यालय को प्रबंध समिति में शिक्षा नियंत्रक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रक्षान् अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराध्यामिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मानवता प्राप्त है तथा विद्यालय की रांचीता दीट्रॉइट वोर्क आफ सेकेन्डरी एज्यूकेशन नहींदेल्ली/कौटिल आफ विहिंडन स्कूल सटीक्फेट इक्युलेशन नहींदेल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीका परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता द्वारा सम्भव सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सुमाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शीशिक एवं शिखण्डित कर्मचारियों का उत्तराध्यात्मक प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

—2—

-2-

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा नियूलिं का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पणिकालों में रखा जायेगा।
- (9) उपर बताएँ में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना वोर्क परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिवर्णों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्णों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिक्षिका घरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वापरा दे दिया जायेगा।

अधीक्ष,

(बाबू राम)  
जनु सचिव।

पुस्तक-4525 / 15-7-2006 तदादित्यक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं अवधारक वार्तावाही हेतु दीक्षित :-

- 1- शिक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- उत्तराध्यात्मक संस्कृत विद्या नियंत्रक, गोरखपाटा।
- 3- शिक्षा विद्यालय नियंत्रक, गोरखपाटा।
- 4- नियंत्रक, लांगू भारतीय विद्यालय उत्तराध्यात्मक।
- 5- प्रबंधक, राधेश्वरम् भौतिक सरस्वती विद्या मंदिर शताङ्गीनगर गोरखपाटा।
- 6- नार्ड चुक।

आला जे,

(बाबू राम)  
जनु सचिव।